

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित विभागों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता
 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यूनतम)/4 दिनांक: 28-1-2014
 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(न्यूनतम)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित विभागों में
 नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक
 आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर
 दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में विम्बलिखित 74 विभागों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
 आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के औसत
 अंक 400 पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित वृष्टान्त की भांति
 गणना करके देय होगा:-

वृष्टान्त-रूपये 5750/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-400
 पर दिनांक: 1-04-2024 से 30-9-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।
 (400-216)

..... X5750= ₹0-4898/- प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।
 दिनांक: 1.04.2024 से 30.9.2024 तक

क्रमिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.10.2023 से 31.3.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹0 में	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
				दिनांक: 1.04.2024 से 30.9.2024 तक		
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10275	4898	10648	410
2	अर्धकुशल	6325	11303	5388	11713	451
3	कुशल	7085	12661	6035	13120	505

2 ईट भट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

क्रमिक	श्रेणी	दिनांक: 1.04.2024 से 30.9.2024 तक		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता ₹0 में	कुल मजदूरी (रूपये में)
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम देय होगा		
2	कुशल	रूपया-676/- प्रति हजार		
2	पधेरा	रूपया-365	रूपया-311	रूपया-676/- प्रति हजार
		भराईवाला	रूपया-94	रूपया-204/- प्रति हजार
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रूपया-110	रूपया-112	रूपया-244/- प्रति हजार
		(2) 500 मीटर से अधिक	रूपया-110	रूपया-204/- प्रति हजार
3	निकारसी वाला	रूपया-110	रूपया-94	रूपया-204/- प्रति हजार

- स्वर् की विनिर्माणशाला और स्वर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिथान उद्योग।
- वाशित पेयो(एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉय लटबन्ध के निर्माण और अनुसूचण, सिचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सिकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ सिकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।

- 25 वाणिजी(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
 26 दुकानों में
 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
 29 तेल मिल।
 30 लोक मीटर परिवहन।
 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
 32 आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाला।
 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाने रखने का निर्माण सक्रियाओं।
 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
 35 चिकन के कार्य।
 36 दियासलाई उद्योग।
 37 आइसक्रीम/आईसकीम विनिर्माणशाला।
 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
 39 बर्ष विनिर्माणशाला।
 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
 41 लाण्डी और धुलाई अधिष्ठान।
 42 जिल्दसाजी।
 43 कोल्ड स्टोरेज।
 44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ़िक्ट्रीज।
 45 निजी मुद्रणालय।
 46 सिनेमा उद्योग।
 47 कपड़ा छपाई।
 48 सिलाई उद्योग।
 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
 50 क्लब
 51 हथकरघा(शिल्प की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
 54 खाण्डसारी।
 55 हथकरघा उद्योग।
 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
 57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कौच उत्पादों के निर्माण।
 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
 59 ईट भट्टा उद्योग।
 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
 63 बृहत्तर और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिरोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 66 एलपीजीवितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 67 टैक्सीज, आटोरिक्सा/टैम्पो एवं ट्रेवलिंग अभिकरण में नियोजन।
 68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 69 गैर सरकारी संगठन(एनओजीओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
 70 विद्युत संतर्पन(विद्युत संकर्मन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
 71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
 73 काल सेन्टर/आईटीओ इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुरूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 1784/90 प्रवर्तन-(एम०डब्ल्यू०)/15 दिनांक 16/05/2024

- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-784/36-03-2024-1805057 दिनांक: 14-05-2024 के सन्दर्भ में सूचनाधर्म प्रेषित।
- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त(आई०आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विमागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अनिलेखार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार मिश्रा)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।